


जिलाधिकारी /अध्यक्ष महोदय,  
जिला स्वास्थ्य समिति  
बलरामपुर।

सादर अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर संचालित कार्यक्रमों के लिये कामर्शियल टैक्सी परमिट धारित वाहन से सम्बन्धित ई0 निविदा के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलरामपुर के पत्रांक मु0चि0अ0/निविदा/वाहन, 2017-18/13415 दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 के तथा आपके अनुमोदन दिनांक 27.01.2018 माध्यम से मेसर्स ओम मल्टी परपस सलूशन मनकापुर, गोण्डा की निविदा स्वीकृत की गयी थी।

उपरोक्त संस्थया सम्बन्धित इकाई पर अपनी सेवायें प्रदान कर रही है।

अतः सहमति की दशा में माह जून, 2018 तक अथवा अग्रिम निविदा की कार्यवाही होने तक अनुमोदन करना चाहें।

दिनांक 23.04.2018

  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
बलरामपुर

CMD

As per  
Follow up  
22/04

जिलाधिकारी /अध्यक्ष महोदय,  
जिला स्वास्थ्य समिति  
बलरामपुर।

सादर अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर संचालित कार्यक्रमों के लिये कामर्शियल टैक्सी परमिट धारित वाहन से सम्बन्धित ई0 निविदा के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलरामपुर के पत्रांक मु0चि0अ0/निविदा/वाहन/ 2017-18/13415 दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 के तथा आपके अनुमोदन दिनांक 27.01.2018 माध्यम से मेसर्स ओम मल्टी परपस सर्विसेज मनकापुर, गोण्डा की निविदा दिनांक 31.03.2018 तक के लिये स्वीकृत की गयी थी (पताका "क")। आपके अनुमोदन दिनांक 29.04.2018 के क्रम में दिनांक 30 जून, 2018 तक विस्तारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये टैक्सी परिमित वाहन धारकों से ई निविदा आमंत्रित की गयी थी परन्तु निविदा में किसी ने प्रतिभाग नहीं किया (पताका "ख")।

मेसर्स ओम मल्टी परपस सर्विसेज मनकापुर, गोण्डा ने अपने पत्र दिनांक 13.06.2018 (पताका "ग") के द्वारा अवगत कराया है कि मैं टैक्सी परिमित वाहन जी0पी0आर0एस0 एवं माइकिंग सुविधा युक्त गाड़िया अपने पुराने निविदा दर पर आपूर्ति करने हेतु इस शर्त पर तैयार हूँ कि मुझे दिनांक 31.03.2019 अथवा अग्रिम निविदा होने तक कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहनों की विशेष आवश्यकता है। निविदा दो बार प्रकाशित करायी गयी परन्तु निविदा में किसी ने प्रतिभाग नहीं किया आवश्यकता को देखते हुए मेसर्स ओम मल्टी परपस सर्विसेज मनकापुर, गोण्डा का विस्तारीकरण दिनांक 31.03.2019 तक करना चाहें।

दिनांक 18.06.2018

  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
बलरामपुर

Dis cum  
W/m/06  
(कृष्णा करुणेश)  
जिलाधिकारी  
बलरामपुर

Cms

Cms

**DESCRIPTION OF THE PROPERTY HEREBY LEASED OUT TO THE LESSEE BY THE LESSER**

As mentioned in this deed:

Provided always and it is hereby further agreed between the parties that whenever such an interpretation would be requisite to give the fullest possible scope and effect to any covenant on conditions herein contained, the expression " THE LESSER AND THE LESSEE" shall mean and always mean and include their respective heirs, successors, administrators, assigns and a legal representative etc. IN WITNESS WHEREOF I as stated on page 1 above, the Lesser and the Lessee have put respective signature and execute this Deed of Lease in their sound disposing mind, with out any correction, undue pressure or compulsion from anybody whomsoever on the date, month and year mentioned.

*First above, in the presence of the following witness.*

BY LESSER

  
(Onkar Singh)


FOR AND ON BEHALF OF THE LESSEE-

  
(Dr. Ghanshyam Singh)


(Chief Medical Officer, BALRAMPUR)

**WITNESS:**

1: Vikarant Singh, S/o Sri Dhananjay singh

  
\_\_\_\_\_

2.: Sonprabh Singh S/O OnkarSingh

  
\_\_\_\_\_

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DU 804911

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य सोसाइटी,  
जनपद : बलरामपुर  
द्वितीय पक्ष ऑम मल्टीपरपस सर्विसेज मनकापुर गोण्डा।  
(सेवाप्रदाता)

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा "आर0बी0एस0के0 योजना/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम" के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 01 जुलाई, 2018 को जनपद बलरामपुर में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01 जुलाई 2018 से 31 मार्च, 2019 अथवा अग्रिम निविदा होने तक होगी।

1. द्वितीय पक्षकार जिला बलरामपुर के समस्त विकास खण्डों/जनपद स्तर पर "आर0बी0एस0के0 योजना एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम" वाहनों को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा :-
  - i. सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन रु. 28991.00 (रुपये अट्ठाईस हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र) किराये दर पर अधिकतम 2000 किमी0 (चलने पर) की धनराशि भुगतान किया जायेगा।
  - ii. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए :-
    - वाहन पंजीकरण टैक्सी परिमिट का होना चाहिए।
    - वाहन अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीबद्ध होना चाहिए, इससे अधिक पुराना न हो।
    - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
    - वाहन चालक का लाइसेंस कार्मशियल होना चाहिये।
    - वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
    - दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
  - iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

Arun K. Pandey

- IV. वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- V. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जाँच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
2. "आर0बी0एस0के0 योजना एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम" के सफल संचालन हेतु वाहन चालकों का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचनापट, योजना सम्बन्धी प्रचार-प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जायेगा।
  3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
  4. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास बैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।
  5. एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 6:00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
  6. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। बड़ी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
  7. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
  8. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
  9. अनुबन्ध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल बलरामपुर न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
  10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर.....  
 मुख्य चिकित्सा अधिकारी/  
 सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति  
 बलरामपुर  
 (प्रथम पक्ष)  
 गवाह :

हस्ताक्षर.....  
 बलरामपुर  
 (द्वितीय पक्ष)

1. ....
2. ....



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DU 804912

**अनुबन्ध पत्र**

प्रथम पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव—जिला स्वास्थ्य सोसाइटी,  
जनपद : बलरामपुर  
द्वितीय पक्ष मंशा ट्रेडर्स, बलरामपुर।  
(सेवाप्रदाता)

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव—जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा "आर०बी०एस०के० योजना/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम" के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 01 जुलाई, 2018 को जनपद बलरामपुर में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01 जुलाई 2018 से 31 मार्च, 2019 अथवा अग्रिम निविदा होने तक होगी।

1. द्वितीय पक्षकार जिला बलरामपुर के समस्त विकास खण्डों/जनपद स्तर पर "आर०बी०एस०के० योजना एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम" वाहनों को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा :-
  - i. सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन रु. 28991.00 (रुपये अट्ठाईस हजार नौ सौ इय्यानवे मात्र) किराये दर पर अधिकतम 2000 किमी० (चलने पर) की धनराशि भुगतान किया जायेगा।
  - ii. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए :-
    - वाहन पंजीकरण टैक्सी परिमित का होना चाहिए।
    - वाहन अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीबद्ध होना चाहिए, इससे अधिक पुराना न हो।
    - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
    - वाहन चालक का लाइसेंस कार्मशियल होना चाहियें।
    - वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
    - दुर्घटना होने पर वाहन एवं लामार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उरुकी पूर्ति को सम्स्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
  - iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

*Andhian*

  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
बलरामपुर

- iv. वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- v. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जाँच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
2. "आर0बी0एस0के0 योजना एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम " के सफल संचालन हेतु वाहन चालकों का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचनापट, योजना सम्बन्धी प्रचार-प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जायेगा।
3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
4. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास बैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्ति नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।
5. एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 6:00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। बड़ी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
7. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
9. अनुबन्ध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल बलरामपुर न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान :

दिनांक :

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/  
सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति

बलरामपुर

(प्रथम पक्ष)

गवाह :

1. मनीष तिवारी  
2. मनीष पाण्डेय

हस्ताक्षर.....

(द्वितीय पक्ष)

**REVISED SUPPORTIVE SUPERVISION Current Status of E- Tender Vehicle Status under SS for FY-2018-19**

Sl.No.	Name of District	No. of Block	Name of Block	Type of Vehicle	Registration No. of Vehicle	Taxi Permit No. of Vehicle	Contract Period		Tender Rate approved	Name of Agency /Vehicle's owner	Mobile No. of Agency/Owner	Status of vehicle e-tender (Y/N)	If No e-tender then DHS approval (Y/N) attached	
							From	To						
1.	Balrampur	9	Balrampur	BOLERO SLE	UP 47 P 6837	UP/TC/32/TAXI/2018/6824	04/09/2018	31/03/2019	28991	OM MULTIPURPOSE SERVICES	9453949430	Y	No Vehicle since 07/12/2018	
2			Shivpura	BOLERO-DI	UP 47 L 3697	CC/STA/UP/2015/02941	01/04/2018	31/03/2019	28991	OM MULTIPURPOSE SERVICES	9453949431	Y		
3			Tulsipur	BOLERO DI	UP 47 T 2063	CC/STA/UP/2014/05919		28/08/2018	31/03/2019	28991	MANSA TRADERS	8318428707	Y	
4			Gaishri	Vehicle is not available this matter is already mention in DHS JULY-18										
5			Utraula	BOLERO-DI	UP 47 K 3876	CC/STA/UP/2016/03422	01/04/2018	31/03/2019	28991	OM MULTIPURPOSE SERVICES	9453949431	Y		Till Date Vehicle Not Available
6			Gaindas Boojurg	BOLERO-DI	UP 43 T 6327	CC/STA/UP/2015/00162	01/04/2018	31/03/2019	28991	OM MULTIPURPOSE SERVICES	9453949431	Y		
7			Mahadaiya ( Shriduttganj)	BOLERO-SLE	UP 47 H 3155	CC/STA/UP/2016/00793	01/04/2018	31/03/2019	28991	OM MULTIPURPOSE SERVICES	9453949431	Y		
8			Rehra Bazar	BOLERO SLE	UP 47 K 3940	UP/43/102/AITP/2017/130	20/09/2018	31/03/2019	28991	OM MULTIPURPOSE SERVICES	9453949431	Y		
9			Pachperwa	BOLERO-DI	UP 53 DT 6782	CC/STA/UP/2017/00687	01/04/2018	31/03/2019	28991	OM MULTIPURPOSE SERVICES	9453949431	Y		
10			District, Balrampur	BOLERO-DI	UP 32 FN 8756	UP/32/102/AITP/2016/4002	08/12/2018	31/03/2019	28990	Prop. Jagdamba Tour & Travels Bhagwatiganj, Balrampur	9451046230	Y		District lable SS
11				BOLERO-DI	UP 46 T 1115	CC/STA/UP/2014/06050	02/04/2018	31/03/2019	28991	PARIS GARMENT SERVICES	9455137101	Y		

Note : Please send the soft copy of Vehicle details and Signed hard copy of Agreement paper of vehicle for 2018-19

  
**Chief Medical Officer**  
**Balrampur**



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


DK 644333

अनुबन्ध पत्र

- प्रथम पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य सोसाइटी,  
जनपद : बलरामपुर
- द्वितीय पक्ष पेरिस गारमेन्ट्स बलरामपुर।  
(सेवाप्रदाता)

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा 'सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम' के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 02 अप्रैल, 2018 को जनपद बलरामपुर में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 02 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 अथवा अग्रिम निविदा होने तक होगी।

1. द्वितीय पक्षकार जिला बलरामपुर के समस्त विकास खण्डों/जनपद स्तर पर "सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम" वाहनों को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा :-
  - i. सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन रु. 28991.00 (रुपये अट्ठाईस हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र) किराये दर पर अधिकतम 2000 किमी० (चलने पर) की धनराशि भुगतान किया जायेगा।
  - ii. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए :-
    - वाहन पंजीकरण टैक्सी परिमित का होना चाहिए।
    - वाहन अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीबद्ध होना चाहिए, इससे अधिक पुराना न हो।
    - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
    - वाहन चालक का लाइसेंस कार्मशियल होना चाहियें।
    - वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
    - दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी मूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत मिलेगी।
  - iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
बलरामपुर



- iv. वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- v. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जाँच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
2. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम " के सफल संचालन हेतु वाहन चालकों का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचनापट, योजना सम्बन्धी प्रचार-प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जायेगा।
3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
4. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास बैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।
5. एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 6:00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। बड़ी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
7. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
9. अनुबन्ध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल बलरामपुर न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संसदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति

बलरामपुर  
(प्रथम पक्ष)

गवाह :

1. ....

2. ....

डॉ. म. प्र. शर्मा

हस्ताक्षर  
पारलगासि-2 स  
बलरामपुर

(द्वितीय पक्ष)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Vehicle Hiring Agreement

DU 792665

This lease deed made at Balrampur of 12<sup>th</sup> day of August 2018 BETWEEN Sri Onkar singh S/O Late Sri Jagdambika Singh Resident of Behind Indian Bank Chandra Vans Bhaven, Balrampur (Prop. Jagdamba Tour & Travels Bhagwatiganj, Balrampur) (herein after called The LESSER, which expression shall unless the context does not so admit include his heirs, successors, administrators and assigns) of the ONE PART and Chief Medical Officer, Balrampur, having its office at CMO Office, uttraula Road, Balrampur through its Chief Medical Officer – Dr. Ghanshyam Singh (herein after called The LESSEE which expression shall, unless the context does not so admit, include its successor administrators and assigns) on the OTHER PART. This agreement would be effective till 31<sup>st</sup> March 2019 as agreed both parties.

WHEREAS THE LESSEE wants to hiring the vehicle (Boloro DI make 2016 ) namely registration no. UP-32 FN-8756, registered under Taxi category with Office of RTO, Lucknow up to April year 2019 vide permit no-UP/32R18040014210 and whereas the lesser has agreed to lease out aforementioned vehicle, for a period of Eight MONTH i.e from 12<sup>st</sup> August 2018 to 31<sup>th</sup> March 2019 the Lessee on the terms and conditions herein after appearing.

**NOW THIS LEASE DEED WITNESSETH AS FOLLOWS:**

In pursuance of the agreement and in consideration of the rent hereby reserved and of the covenants, conditions and stipulations herein after contained and on the lessee the vehicle namely registration no UP-32 FN-8756, more particularly described in this deed. The Lessee, its employee, servants agents and person authorized by the Lessee to use the demised vehicle for a period of EIGHT MONTH i.e 12<sup>th</sup> August 2018 to 31<sup>th</sup> March 2019 paying therefore amount to

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

the lesser said monthly rent of **Rs 28990/-** only (*Rupees Twenty Eight Thousand Nine Hundred Ninty Only*) payable by the 10<sup>th</sup> of each succeeding calendar month to which it relates.

1. That the running of vehicle for the purpose of office use or another use up to 2000 km per month without payment of any extra charge mention above but vehicle is running less than 2000 km in particular month It will be carried forward for the next more months.
2. That the lessee will pay to the lesser the agreed monthly rent and extra running diesel consumption per month by 10<sup>th</sup> of every month. That the rent of the vehicle shall always be paid by the lessee through account payee cheque or demand draft or pay order in the name of **Sri Onkar Singh(Prop.Jagdamba Tour & Travels,Bhagwatiganj,Balrampur)**
3. That the lessee shall pay the amount of diesel consumed of extra running @ 12 km per liter of extra running above of vehicle of 2000 (Two thousand) kilometer per month after adjustment of brought forward last month's less running.
4. That the Lesser will pay the registration, road tax, insurance of vehicle, passenger and driver or any other taxes imposed in future by the government or any appropriate authority and all repair & maintenance required time to time for the properly running of the vehicle.
5. That the lesser shall acknowledge and give valid receipt duly signed by lesser for each and every payment made by the Lessee to the Lesser or their attorney and such receipts which must be fully stamped and signed by the Lesser shall be conclusive proof of such payments.
6. That the lease deed can be terminated by serving two calendar month's prior notice by either side.
7. That the aforesaid vehicle has been taken by the Lessee for the running of officers or any other persons authorized by District Program Management Unit- NRHM, BALRAMPUR, with in district or out of districts without any permission of owner of vehicle. The Lessee will use the vehicle only for these purposes. (Mentioned in deed).
8. That the vehicle will be in possession of lessee for 24 hour and stand in office premises.
9. That the vehicle will go the repair and maintenance that leaser will provide another vehicle for the aforesaid purpose if leaser will fall to provide another vehicle to lessee can hire the vehicle to any other party and amount paid to other party will be deducted from leaser payment.
10. *That the vehicle rent would be increased after approval on competent authority or appropriate authority. As requested by leaser to increase the monthly rent due to increase in the cost of operation including rate of diesel and other operational cost. The increased amount will be paid since & after date of approval. Right of decision is reserved with executive Body of DHS or appropriate authority.*

*Rid*

*Cooney*